# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—35/2017/223 (2017/00035)**

1. राकेश कुमार पुत्र स्व0 शंकरलाल मालाकार, जाति माली, निवासी मालियों का बड़ा मौहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. भैरूसिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह पूर्वीया, जाति राजपूत, निवासी चैनपुरिया, जयपुर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 21.10.2008 अंतर्गत वाद संख्या 125/2004.**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट।
2. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांकः—18.7.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी स्व0 शंकरलाल का पुत्र है तथा स्व0 शंकरलाल का उत्तराधिकारी है तथा स्व0 शंकरलाल पुत्र जालू माली द्वारा छोड़ी गई सम्पतियों का पारिवारिक हिस्से अनुसार सम्पत्तियों पर स्वामी के रूप में काबिज है तथा उनके स्वामित्व व आधिपत्य में है। वादी के स्व0 पिता शंकरलाल माली के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह पुत्र रतनसिंह की माता श्रीमती कुनणी जो कि स्व0 रतनसिंह की मृत्यु के पश्चात् स्वामित्व व आधिपत्य धारण की हुई थी तथा प्रतिवादी भैरूसिंह की प्राकृतिक सरंक्षक थी । श्रीमती कुनणी के जेठ स्व0 पति रतनसिंह संयुक्त परिवार के कर्ता थे, जो नाऔलाद होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद श्रीमती कुनणी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पतियों पर बहैसियत मालिक काबिज रहे । चूंकि भैरूसिंह के नाबालिग होने के कारण श्रीमती कुनणी प्राकृतिक सरंक्षक थी । श्रीमती कुनणी के पति मगनसिंह की मृत्यु हो चुकी थी । अतः रतनसिंह एवं उनके परिवार में एकमात्र वारिस भैरूसिंह प्रतिवादी संख्या 1 हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सरंक्षक कुनणी हुई । स्व0 रतनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह नाऔलाद फौत होने पर भैरूसिंह ही एक मात्र वारिस था जो 8—10 वर्ष का था । स्व0 रतनसिह की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भमि जो जयपुर रोड़, चैनपुरिया में बांधी का बेरा (कुआं मय कृषि भूमि) जिसका रकबा 12 बीघा करीब है जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है । उक्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 1431, 1432 है जिसके पुरानी भू—एकीकरण खसरा नंबर 1914, 1912, 1911, 1913, 1910, 1909, 1915, 1912/6099 थे जिसके भू—प्रबंध विभाग

मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 988 व 989 एवं नये खसरा नंबर 1431 व 1432 जिसका रकबा क्रमशः 4 बिस्वा एवं 11 बीघा 7 बिस्वा है । प्रतिवादी भैरूसिंह के नाबालिग होने से उसकी माता परिवार की कर्ता थी । प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह के पिता तथा ताऊजी के विरूद्ध जवाबरसिंह मेहता की रकम वसूली की डिक्री होने तथा कुर्की होने के कारण उक्त डिक्री की राशि के भुगतान हेतु श्रीमती कुनणी बेवा हजारी, मगनसिंह ने वादी के स्व0 पिता शंकरलाल माली से 200/—रू0 कलदार चांदी के ऋण लेकर दिनांक 25.5.1945 को आवासीय जायदाद एवं उक्त 12 बीघा भूमि मय बेरा जाव शंकर लाल के रहन रखकर बंधक विलेख पत्र उप पंजीयक कार्यालय किशनगढ़ के यहां पंजीयन करवाया था कि जब तक उक्त ऋण राशि का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक शंकरलाल माली उक्त समस्त सम्पति का उपयोग—उपभोग करते रहेंगे तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता से ब्याज लेने का अधिकार नहीं होगा। कालांतर में श्रीमती कुनणी का स्वर्गवास हो गया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि/सम्पति का उपयोग उपभोग वादी के पिता स्व0 शंकरलाल माली करते रहे तथा उनकी मृत्यु दिनांक 25.5.1998 को होने के उपरांत आज दिनांक तक बंधक है जिसे प्रतिवादी ने रहन मुक्त नहीं कराया है तथा न ही ऋण अदायगी समयानुसार की है । रहन मुक्त कराने की विधिनुसार अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने कृषि भूमि खसरा नंबर 1431 व 1432 में से छोटे—छोटे टुकड़े विक्रय कर प्रतिवादी संख्या 2 से 21 को जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादित कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली है, जो अवैध है तथा वादी के विरूद्ध उक्त अंतरण बेअसर है व विक्रय शून्य है । प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि छुड़ाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है । इस प्रकार उसने अपने अधिकार त्याग दिये है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 21 को उक्त सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अतः वादी वादी/अपीलांट स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.5.2003 द्वारा खसरा संख्या 1431 व 1432 में से प्रतिवादीगण संख्या 2 से 21 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किया जावे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का हस्तातंरण किसी अन्य को नहीं करे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । 1

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार स्व0 रतनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह थे जिनके वारिसान भेरूसिंह पुत्र रतनसिंह तथा रतनसिंह के भाई की पत्नि श्रीमती कुनणी बेवा मगनसिंह हुए । बरवक्त निष्पादित किये जाने बंधक विलेख दिनांक 25.5.1945 को भैरूसिंह नाबालिग था एवं कुनणी बेवा मगनसिंह ही उक्त परिवार में भैरूसिंह के अतिरिक्त बालिग वारिस होकर भैरूसिंह की सरंक्षक थी । उक्त तथ्य को रेस्पो0 द्वारा इंकार भी नहीं किया गया है क्योंकि कुनणी के अतिरिक्त परिवार में नाबालिग भैरूसिंह का सरंक्षक अन्य कोई जीवित नहीं था । भैरूसिंह के पिता तथा ताऊजी के विरूद्ध जवाहरसिंह मेहता की रकम वसूली की डिक्री होने तथा कुर्की होने के कारण उक्त डिक्री की राशि के भुगतान हेतु श्रीमती कुनणी बेवा मगनसिंह ने विवादित आराजियात बहैसियत सरंक्षक भैरूसिंह वादी के पिता शंकरलाल माली से

दो सौ कलदार चांदी के ऋण लेकर जरिये पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 25.5.1945 को बंधक/रहन रखी थी तथा उक्त विलेख उप पंजीयक, किशगनढ़ के कार्यालय में पंजीकृत करवा दिया था तब से उक्त भूमि पर वादी के पिता शंकरलाल काबिज हो गये जो लगातार काबिज रहे । उक्त दस्तावेज दिनांक 25.5.1945 पंजीकृत दस्तावेज है जिसे आज दिनांक प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई एवं न ही प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह द्वारा उक्त रहन को मुक्त करवाया गया है । अधिकार अभिलेख में साबिक रिकार्ड से आज दिनांक तक उक्त भूमि वादी के पिता शंकरलाल के नाम रहन दर्ज चली आ रही है जिसे भी प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 25.5.1945 एवं अधिकार अभिलेख के अनुसार वादी/अपीलांट के पिता के पक्ष में रहन रखी जाना सिद्ध होने से वादी/अपीलांट के पक्ष में तय की जानी चाहिये थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से यह अंकित किया कि बंधक दस्तावेज को प्रमाणित नहीं करवाया है तथा उप पंजीयक को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया है, दी गई फाईण्डिग गलत है । पंजीकृत दस्तावेज को सिद्ध कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि दिनांक 25.5. 1945 को भैरूसिंह नाबालिग था एवं कुनणी के अतिरिक्त परिवार में अन्य कोई व्यस्क सदस्य नहीं था जिससे कुनणी ही भैरूसिंह की प्राकृतिक वारिस थी । श्रीमती कुनणी का भैरूसिंह की सरंक्षक होना पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 25.5.1945 से सिद्ध था जिसे रेस्पो0 ने कभी भी चुनौती नहीं है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि पंजीकृत रहननामे को न तो प्रतिवादीगण द्वारा निरस्त कराया गया एवं न ही विवादित आराजियात रहन मुक्त करवाई गई है । ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधि0 दिनांक 15.6.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने पर अपीलांट के पिता स्व0 शंकरलाल को विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से शंकरलाल के हक में रहन की प्रविष्टि ही जारी रखी जबकि काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के दिन शंकरलाल काबिज चले आने तत्पश्चात् दिनांक 15.6.1958 से 12 वर्षो तक भैरूसिंह के बालिग होने के 3 वर्षो के भीतर न तो भैरूसिंह द्वारा शंकरलाल से कब्जा प्राप्त किया गया न ही भूमि रहन मुक्त करवाई गई एवं न ही पुनः खातेदारी प्राप्त करने हेतु कोई चाराजोही ही गई है जिससे भैरूसिंह के विवादित भूमि में निहित समस्त काश्तकारी अधिकारों का अवसान हो चुका था एवं कानूनन दिनांक 15.6.1958 के बाद भैरूसिंह के किसी भी प्रकार के काश्तकार अधिकार उक्त आराजियात में नहीं रहे। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 3 खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है ।

6. बहस में आगे कथन किया कि अधिकार अभिलेख में दर्ज त्रुटि पूर्ण इंद्राज के आधार पर यदि भैरूसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 21 को प्लाट काटकर भूमि विक्रय की गई है तो तथाकथित विक्रय पत्र अपीलांट के हक, अधिकार व स्वत्वों पर बेअसर है क्योंकि भैरूसिंह द्वारा रहन अवधि में रहन नहीं छुड़ाने से अपीलांट के पिता शंकरलाल को विवादित भूमि में विधि प्रभाव से काश्तकारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । शंकरलाल का दिनांक 25.5.1998 को स्वर्गवास हो गया जिसके बाद अपीलांट लगातार विवादित भूमियों पर काबिज चल आ रहा है जिससे स्पष्ट है कि भैरूसिंह को विवादित भूमि में कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद विवादित भूमि में प्लाट काटकर विक्रय पत्र निष्पादित किये है जो प्रारंभ

से शून्य एव अवैध है । अधी0न्याया0 एक ओर पंजीकृत बंधक विलेख को गलत मान रहे है जबकि उसे किसी ने भी चुनौती नहीं दी है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर आज दिनांक तक विवादित भूमि रिकार्ड में रहन दर्ज चली आ रही है जिसे भी चुनौती नही दी गई है । कृषि भूमियों बाबत् वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है फिर भी अधी0न्याया0 ने विक्रय पत्र की प्रकृति के निर्धारण का क्षैत्राधिकार सिविल न्याया0 को मानते हुए तनकी संख्या 4 अपीलांट के विरूद्ध तय की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । यदि उपखण्ड अधिकारी वाद सुनवाई का क्षैत्राधिकार स्वंय में निहित नहीं मान रहे थे तो उन्हें वादपत्र को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटा देना चाहिये था । उद्घोषणा के वाद की कोई मियाद निर्धारित नहीं है तथा कृषि आराजियात पर उद्घोषणा खातेदारी हेतु राजस्व वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि पंजीकृत दस्तावेज में रहन की अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो भी अधिकतम अवधि 20 वर्ष मानी जाती है ऐसी स्थिति में दिनांक 25.5.1965 को रहन की अवधि समाप्त होने के बाद भी न तो प्रतिवादी संख्या 1 ने शंकरलाल को बेदखल किया न ही यह सिद्ध किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शंकरलाल से कानूनन कब्जा कब एवं कैसे प्राप्त किया । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 6 को भी दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 8 लगायत 15 को तनकी संख्या 1 लगायत 7 के निर्णय पर आधारित कर निर्णय पारित किया है जो गलत है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों नजरअदांज कर कानूनी तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी/अपीलांट का वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008 निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी का यह स्वीकृत कथन है कि कुनणी प्रवितादी संख्या 1 की जन्मदाता माता नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम रतनसिंह था एवं कुनणी के पति का नाम हजारी तथा मगनसिंह था । अपीलांट ने वाद में वाद अधीन सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रतनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के अधिकार की होना स्वीकार किया है एवं यह स्वीकृत पहलू है कि प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह भी रतनसिंह का एकमात्र जाईन्दा पुत्र है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि वादी के वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 भैरूसिंह को जागीदादारी अधिकार प्राप्त हुए थे तब वह नाबालिग था । जागीर की भूमि Couts of wards के अधीन कब्जे में थी एवं कनुणी ने तो प्रतिवादी संख्या 1 की सरंक्षिका थी, न ही कब्जा देने में सक्षम थी, न ही कब्जा शंकरलाल को दिया गया । उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा चला आ रहा है । शंकरलाल के विधिक वारिसान पक्षकार नहीं बनाये गये है । उपरोक्त भूमि जब रहन ही नहीं थी तो रहन मुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने पर धारा 43 व 43–अ के अधीन बंधक नामा स्वतः विधि प्रभाव से शून्य हो गया था यदि बंधकनामा माना भी जाता है तो भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 21 ने भी अधी0न्याया0 के समक्ष पृथक से जवाबदावा पेश किया था जिसमें उनके द्वारा खसरा संख्या 1432 में से 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 22.5.2003 को पंजीकृत विक्रय विलेख से सद्भाविक क्रेता के रूप में क्रय किये जाने का कथन किया है । विद्वान

वकील रेस्पो0 ने आर0आर0डी0 1993 पेज 682 उद्धरित कर कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 की धारा 43 के विशिष्ट प्रावधान रहते हुए सम्पति अन्तरण अधि0 की धारा 58 के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है । जब धारा 43 में विशिष्ट रूप से प्रावधान है कि, भोगलाउ बन्धक उपरोक्त अधिनियम के प्रभाव में से स्वतः ही बन्धक मुक्त होने का विधिक प्रभाव रखता है । ऐसी स्थिति में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय निर्णय 2018 एस0ए0आर0 पृष्ट संख्या 533 पर सिद्धांत भी हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः प्रभावी होता है जिसमें निम्न सिद्धांत Latin maxim के आधार पर पारित किया हैः– Maxim : Dulo Lex Sad Lex : Means- Law is hard but it is law and there cannot be any departure from words of law.

8. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय 2006 (1) डी0एन0जे0 राज0 पृष्ठ संख्या 481 में राज0काश्त0अधि0 की धारा 43 (4) के अधीन स्वतः बंधक से विमोचन सहित, बंधनकर्ता के अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अधीन अवधि अवसान पश्चात् कोई अधिकार नहीं होने के बाबत् सिद्धांत प्रतिपादित किया है । बहस में आगे कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में विवाद्यक मूलतः विधिक आधार के है क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि, When suit is not mainainable is legal provision the question of fact is immaterial. यह पहलू सुस्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि के प्रतिवादी खातेदार, काबिज काश्तकार है एवं यह पहलू स्वंय वादी के अभिवचन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 21 को वाद अधीन भूमि में से 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि अन्तरित की गई है एवं उस पर प्रतिवादी संख्या 2 से 21 काबिज है । इस परिप्रेक्ष्य में आधिपत्य भी प्रतिवादी का ही प्रमाणित होता है । इसके विपरीत वादी ने ऐसी गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे वादी का कब्जा प्रमाणित होता हो । यह भी कथन किया कि कुनणी देवी किसी भी रूप में प्रतिवादी संख्या 1 की प्राकृतिक सरंक्षिका नहीं हो सकती है जबकि यह वाद वादी ने कुनणी देवी को प्रतिवादी संख्या 1 की प्राकृतिक सरंक्षिका बताते हुए संस्थित किया है । इस संबंध में हिन्दू अप्राप्तवयता एवं सरंक्षकता अधि0 1956 की धारा 6 की ओर ध्यान आकर्षित किया । उक्त अधि0 की धारा 8 में स्पष्ट रूप से किसी अव्यस्क की सम्पति को उसके प्राकृतिक सरंक्षक भी जिला जज् की अनुमति के बिना भारग्रस्त, प्रभारित, अन्तरण, उपहार, विक्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से व्ययन करने का अधिकार नहीं रखते है एवं प्रकार के अन्तरण उस अव्यस्क के विवाद पर विधि से शून्य एवं निष्प्रभावी है । पी0डब्ल्यू0 1 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है । धारा 43 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त बंधक विलेख से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । तथाकथित दिनांक 25.5.1945 का बंधक विलेख न तो वाद अधीन भूमि के संबंध में है, न ही प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त बंध से प्रतिबंधित है एवं स्वंय ही विधि प्रभाव से धारा 43(4) राज0काश्त0अधि0 के अस्तित्व में यह बंधक विलेख शून्य हो चुका है । अधी0न्याया0 ने धारा 43 के प्रावधानों के अधीन विधिवत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

9. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । तनकी संख्या 10 इस आशय की बनाई गई कि आया स्व0 शंकरलाल के अन्य वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित नही करने से वाद चलने योग्य नहीं है ?

10. अधी0न्याया0 द्वारा इस तनकी के संबंध में पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व0 शंकरलाल के वादी के अलावा तीन पुत्र और है ।

अधी0न्याया0 द्वारा धारा 211 राज0काश्त0अधि0 के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध निर्णित की है । जबकि जा0दी0 में आदेश 1 नियम 9 के तहत कोई भी वाद आवश्यक पक्षकारान के संयोजन, असंयोजन अथवा कुसंयोजन के आधार पर निरस्त नहीं करना चाहिये एवं आदेश 1 नियम 10 (2) के अनुसार न्यायालय किसी भी स्तर पर स्वंय के द्वारा अथवा पक्षकारान के आवेदन पर आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर सकता है किन्तु अधी0न्याया0 ने समक्ष यह तथ्य ध्यान में आने के बावजूद वादी के अन्य तीनों भाईयों को बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया जो तकनीकी आधार पर न्याय, निर्णय किया जाना प्रतीत होता है जबकि न्याय, निर्णय तकनीकी आधार पर न कर गुणावगुण पर सभी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वास्तविक न्याय, निर्णय किया जाना चाहिये । किसी भी हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार संयोजित किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 10 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार स्व0 शंकरलाल के समस्त विधिक वारिसान जो कि प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकारान है को वाद में पक्षकार संयोजित कर उन्हें साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है ।

11. चूंकि तनकी संख्या 10 के निर्णयानुसार बिना हितबद्ध व आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित किये बिना तनकी संख्या 1 लगायत 9 व 11 लगायत 16 का निर्णय किया गया है जिन्हें भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

12. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

13. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10. 2008 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्व0 शंकरलाल के समस्त विधिक वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

14. निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**